5-11-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल किया गया। डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यालय उ
ान अधिकार
वाद संख्
रामेश्वर
चेना तहस
औमप्रकाश
तहसील
शंकरलाल
तहसील
मीरादेवी
रायसिंह
एस.बी.बी
1. श्री सुरे
2. श्री अम
वादीग
के तहत इ
ता प्रतिवादी
2.024 हैक
सी चक के
माबंदी याके
24 / 117 व
अर्जी
ूमि थी जो
तिवादी सं
इम वादीगण
परिवार अ
संख्या 1 व
के पश्चात्
है। मुताबिक

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 351/2019 अनवान रामेश्वरलाल बनाम शंकरलाल)

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

ासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

जस्व वाद संख्या :– 351/2019

1 रामेश्वर लाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली वास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 औमप्रकाश पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली बास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 शंकरलाल पुत्र श्री लालूराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली बास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 मीरादेवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी चक 35 एम.एल. बारावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर – – प्रतिवादीगण

3 एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) बैंक शाखा डबली राठान

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दिनांक :– 04.11.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि हम वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 16 जे.आर.के. खाता संख्या 163/150 मे 2.024 हैक्टर भूमि व चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 124/117 मे 0.759 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 40/33 मे 0.759 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 16 जे.आर.के. खाता संख्या 163/150 व चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 124/117 व खाता संख्या 40/33 सम्वत 2074–2077 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे हम वादीगण के दादा स्व. लालूराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन हम वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमे हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है। चूंकि उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार अब विभक्त हो चुका है तथा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का हम वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपस मे बंटवारा कर लिया है घरू बंटवारा के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ने हम वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) हम वादीगण संख्या 1 व 2 को वाके चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकर लाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि मे बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है व वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल को वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई तथा वादी संख्या 2 औमप्रकाश को वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही हम वादीगण संख्या 1 व 2 अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है परन्तु वर्णित भूमि अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के

Scanned by CamScanner

कारण हम वादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः वादीगण संख्या 1 व 2 घोषणा इस अमर की प्रात करने के अधिकारी है कि वादी संख्या रामेश्वर व वादी संख्या 2 औमप्रकाश वाके चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे बहिस्सा बराबर के व इसी प्रकार वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकर लाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल व वाके चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 औमप्रकाश खातेदार काश्तकार है तथा चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 व वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 व इसी चक की खाता संख्या 40/33 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद में आज से 10 रोज पूर्व मुकाम चक डबली बास चेना मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 3 के यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी संख्या 1 रामेश्वर व वादी संख्या 2 औमप्रकाश वाके चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैर मुमकिन मे बहिस्सा बराबर के व इसी प्रकार वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल व वाके चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 औम प्रकाश खातेदार काश्तकार है तथा चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 व वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 व इसी चक की खाता संख्या 40/33 मे से प्रतिवादी संख्या का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 21.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 163/150 मे 2.024 हैक्टर भूमि व चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 124/117 मे 0.759 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 40/33 मे 0.759 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में वादीगण के दादा स्व. लालू राम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वर्थ राईट हासिल है। चूंकि हिन्दू संयुक्त परिवार अब विभक्त हो चुका है तथा उक्त वर्णित भूमि का वादीगण संख्या

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपस मे बंटवारा कर लिया है घरू बंटवारा के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) हम वादीगण संख्या 1 व 2 को वाके चक 16 जे.आर.के की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकर लाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरममकिन भूमि मे बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है व वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल को वाके चक 8 एम.ओ.डी की खाता संख्या 124/117 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.759 है भूमि प्राप्त हई तथा वादी संख्या 2 औमप्रकाश को वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही हम वादीगण संख्या 1 व 2 अपनें घरू बटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है मुताबिक राजीनामा वादी संख्या 1 रामेश्वर व वादी संख्या 2 औमप्रकाश को वाके चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे बहिस्सा बराबर का व वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 मे शंकर लाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल को व वाके चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 औमप्रकाश को खातेदार घोषित किया जाकर चक 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 व वाके चक 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 व इसी चक की खाता संख्या 40/33 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तो हमे कोई आपति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 16 जे.आर.के. खाता संख्या 163/150 मे 2.024 हैक्टर भूमि व चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 124/117 मे 0.759 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 40/33 मे 0.759 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमलन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 रामेश्वर व वादी संख्या 2 औमप्रकाश पुत्रान शंकरलाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 मे शंकर लाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल को तथा चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 2 औमप्रकाश को खातेदार काश्तकारर घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 04.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 351/2019

1 रामेश्वर लाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली बास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 औमप्रकाश पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली बास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़। **– – वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 शंकरलाल पुत्र श्री लालूराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबली बास चेना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 मीरादेवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी चक 35 एम.एल. बारावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

3 एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) बैंक शाखा डबली राठान **– – प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 04.11.2019

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 04.11.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत 16 जे.आर.के. की खाता संख्या 163/150 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 2.024 हैक्टर मय गैरमुमकिन मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमलन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 रामेश्वर व वादी संख्या 2 औमप्रकाश पुत्रान शंकरलाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार 8 एम.ओ.डी. की खाता संख्या 124/117 मे शंकर लाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शकरलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 रामेश्वर लाल को तथा चक 8 एम.ओ.डी. खाता संख्या 40/33 मे प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज 0.759 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 2 औमप्रकाश को खातेदार काश्तकारर घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई वदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 04.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प			
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
प्रदर्शी के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.09 11:48:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: